सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )पराविं / प्रशा.1 / वि.अ. / संस्था / ट्रेप / गंगरार / चित्तौडगढ / 2020 / 926 जयपुर दिनांक 10/7/2020

—: आदेश :—

श्री रूपसिंह गुर्जर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति गंगरार जिला चित्तौडगढ को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 25.6.2020 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर तफतीश प्रारंभ की गयी है एवं गिरफ्तारी दिनांक से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

श्री गुर्जर को राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(बी) के अन्तर्गत गिरफ्तारी दिनांक 25.6.2020 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया जाता है, साथ ही श्री गुर्जर की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) को लौटायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा से रिहा होने के पश्चात अविलम्ब अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग, मुख्यालय पर प्रस्तुत करें अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

सिद्धार्थ 9/7/2020

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 14.12.2000, 10.8.2001 एवं 31.7.2018 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
9. जिला कलक्टर, चित्तौडगढ।
10. पुलिस अधीक्षक—प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को सूचनार्थ।
11. अतिरिक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगरार(चित्तौडगढ)।
13. श्री रूपसिंह गुर्जर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति गंगरार जिला चित्तौडगढ को पालनार्थ।
14. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
15. आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली।

(गौरव चतुर्वेदी)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)